न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 26 / 2020 **RCMS No.-2020/00072**

कृष्ण पुत्र स्व. श्री प्रताप, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कानेठी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तकरण संख्या 455 दिनांक 22.11.2010 वाके ग्राम कानेटी, पटवार हल्का भटेरी, भू अभि. निरीक्षक जटवाडा, तहसील बस्सी जिला जयपुर में श्रीकिशन पुत्र प्रताप की जगह कृष्ण पुत्र प्रताप का नाम दुरूस्त किये जाने के संबंध में। ..

———

निर्णय दिनांकः 06.11.2020

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.11. 2010 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 455 वाके ग्राम कानेटी तहसील बस्सी स्वीकार हुआ है जिसमें अपीलांट का नाम सहबन से कृष्ण पुत्र प्रताप के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र प्रताप दर्ज कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.10.2020 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक 3788 दिनांक 26.10.2020 से वांछित नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किए गए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपीलान्ट का राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति पेश की गयी जो शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आगे कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 455 में वर्णित ग्राम कानेटी, तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट व उसके भाईयों व उसकी बहनो को उपरोक्त वर्णित भूमि अपने पिता स्व. श्री प्रताप की विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के समय बाल्य अवस्था में था, अपीलांट की माता अनपढ होने के कारण पर अपीलाधीन नामान्तकरण में गलती से अपीलान्ट को उसके घर पर बोलने वाला नाम श्रीकिशन दर्ज करवा दिया गया। जबकि अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में अपीलान्ट का नाम कृष्ण पुत्र प्रताप ही है। अपीलाधीन नामान्तकरण के आधार पर अपीलांट

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:47:16 IST
Reason: SelfAttested

का नाम जमाबन्दी में भी श्रीकिशन अंकित हो गया। अपीलान्ट को ग्राम कानेटी में श्रीकिशन के नाम से जाना जाता है जबकि अपीलान्ट का सरकारी रिकार्डेड नाम कृष्ण है। चूंकि अपीलान्ट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार है तथा नामान्तकरण तस्दीक होते समय ग्राम में मौजूद नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण में नाम की ही त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 455 दिनांक 22.11.2010 में तहसीलदार बस्सी को अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम श्रीकिशन पुत्र प्रताप की जगह कृष्ण पुत्र प्रताप अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को सही करवाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण विधिपूर्वक व न्यायसंगत है तथा नियमों की पालना करते हुए ही खोला गया है इसमें केवल त्रुटिवश अपीलांट का नाम गलती से कृष्ण के स्थान पर श्रीकिशन दर्ज किया गया है जिसमें शुद्वि हेतु पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। साथ ही अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर भी गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 455 ग्राम कानेटी, तहसील बस्सी अपीलांट की माता कानी देवी के फौत होने पर विरासत के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलांट एवं उसके भाईयो एवं बहनो के नाम तस्दीक किया गया। जिसमें अपीलान्ट का नाम सहबन से श्रीकिशन अंकित किया गया है जबकि अपीलान्ट का सरकारी रिकार्डेड नाम कृष्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 455 निर्णित दिनांक 22.11.2010 ग्राम कानेटी तहसील बस्सी में अंकित श्रीकिशन के स्थान पर कृष्ण दर्ज किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रखे जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:47:16 IST
Reason: SelfAttested